न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 156/2025 बउनवानी मोहर सिंह **बनाम** उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2025/320

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	[illegible]
14.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 1.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **" साबिक ख0न0 28 को विभाजित कर बनाये गये हाल कुल 14 खसरो के संबंध में कुल 7 बिन्दुओ की प्रमाणित प्रति"** उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ/2025/112 दिनांक 14.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 1.9.2025 के बिन्दु संख्या 1,6 की सूचना के लिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 87 दिनांक 12.6.2025 से तहसीलदार तलावडा को तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए जरिये पत्रांक 90 दिनांक 12.5.2025 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागर सवाईमाधोपुर को एवं बिन्दु संख्या 5,6 की सूचना के लिए जरिये पत्रांक 92 दिनांक 12.5.2025 से भूप्रबंधक अधिकारी टोंक को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जा चुका है तथा शेष बिन्दु संख्या 2,4,7 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 111 दिनांक 14.11.2025 से भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2,4,7 की सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 111 दिनांक 14.11.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1,6 की सूचना 15 दिवस मे उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार तलावडा को तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को निर्देशित किया जाता है तथा शेष बिन्दु संख्या 5,6 की सूचना अपीलान्ट भूप्रबंध अधिकारी टोंक के कार्यालय में प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner